दिनाक 17.12.2020
प्रेस विज्ञप्ति–17/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुल्तानपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूटा गया डीसीएम मय 146 बोरी मूँगफली ,**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.12.2020 को थाना कोतवाली देहात, थाना कूरेभार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटका धनपतगंज मार्ग पर घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस कर्मी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 बदमाश 1–अमित 2–शाबिर घायल हो गये, जिन्हें अन्य अभियुक्तों 3–सुमित 4–रामजी उर्फ जेठू 5–एक अभियुक्ता सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूटा गया डीसीएम मय 146 बोरी मूँगफली, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 30.11.2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा मूँगफली लदी डीसीएम की लूट व चालक की हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0–632/2020 धारा 394/302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त लूट सहित हत्या की घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित निवासी पीरो सरैया थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर।

2—शाबिर निवासी व थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

3—सुमित अमित निवासी पीरो सरैया थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर।

4—रामजी उर्फ जेठू अमित निवासी पीरो सरैया थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर।

5—एक अभियुक्ता निवासी पीरो सरैया थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर। ।

बरामदगी

1—लूटा गया डीसीएम

2—146 बोरी मूँगफली,

3—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना निजामाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 9170 रूपये नगद,**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 16.12.2020 की रात्रि थाना निजामाबाद व थाना अहरौला की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुन्धुवई रोड़ पर बने खण्डहर कोल्ड स्टोरेज के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चन्द्रजीत उर्फ पत्तर उर्फ धरपत्तर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 9170 रूपये नगद, 01

अवैध पिस्टल 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशो द्वारा पेट्रोल पम्प पर डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0—206/2020 धारा 395/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

चन्द्रजीत उर्फ पत्तर उर्फ धरपत्तर निवासी हटवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1 लूट के 9170 रूपये नगद,

2—01 अवैध पिस्टल 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

3— चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड

- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 54 हजार रूपये नगद,**
- **लैपटाप बैंग, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस,**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.12.2020 को थाना ककोड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिरनौट चौराहे पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही के दौरान 05 अभियुक्तों 1—आकाश 2—चन्द्रवीर उर्फ वीर, 3—सौरभ उर्फ भोलू, 4—योगेश उर्फ योगेन्द्र 5—अंकित उर्फ अन्नू को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 54 हजार रूपये नगद, लैपटाप बैंग, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 19.11.2020 को ग्राम दस्तूरा निवासी एल0आई0सी0एजेन्ट के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर मु0अ0सं0—339/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व सामान उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना ककोड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1——आकाश निवासी शेरपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर

2—चन्द्रवीर उर्फ वीर निवासी ग्राम आछेपुर थाना रबुपुर जनपद गौतबुद्धनगर, हालपता—ग्राम सैदमपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

3—सौरभ उर्फ भोलू निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

4—योगेश उर्फ योगेन्द्र निवासी ग्राम शेरपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

5—अंकित उर्फ अन्नू निवासी अजयनगर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 54 हजार रूपये नगद,

2— लैपटाप बैंग,

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

4—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज

- **अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **08 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस बरामद,**

दिनांक 17.12.2020 को थाना मोहनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजामऊ पुलिया के पास से घेराबन्दी कर अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले 06 शातिर अभियुक्तों 1–प्रेमचन्द्र 2–संदीप 3–शाहरूख उर्फ गुड्डू 4–मो0 शकील 5–सज्जन 6–आलोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 08 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रेमचन्द्र निवासी मिर्जापुर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

2–संदीप निवासी बहादुरपुर लालपुर थाना जामों जनपद अमेठी।

3–शाहरूख उर्फ गुड्डू निवासी बंजरिया कालोनी अगौना थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

4–मो0शकील निवासी सिंहपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

5–सज्जन निवासी ग्राम मोहना थाना जायस जनपद अमेठी।

6–आलोक निवासी दमनपुर थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी–:

08 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अवैध पिस्टल, 06 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 17.12.2020 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौलाना अड्डा के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सत्येन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गुलावठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—109/2020 धारा 302/323/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

सत्येन्द्र निवासी मोहल्ला रामनगर कर्णपुरी थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

जनपद खीरी/थाना निघासन

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 17.12.2020 को थाना निघासन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बल्लीपुर मोड़ पलिया रोड़ सलीमाबाद चौराहा से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मजहर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना निघासन पर पंजीकृत यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निघासन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

मजहर निवासी ग्राम गदियाना मजरा बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी।

बरामदगी–:

400 ग्राम नशीला पदार्थ।

एसटीएफः जनपद फिरोजाबाद में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वाँछित व रूपया 20,000/– का पुरूस्कार घोषित अपराधी राम अवतार पुत्र रामप्रकाश गिरफ्तार

दिनांक 17–12–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद फिरोजाबाद में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वाँछित व रूपया 20,000/–के पुरस्कार घोषित अपराधी राम अवतार पुत्र रामप्रकाश को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी ग्राम बिजौली, थाना खैरगढ़, जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः

1 –रू0 100/– मात्र

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एवं समय

जनपद फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्रार्न्तगत ग्राम प्रतापपुरा चौराहा से कुछ दूरी पर दिनांक 17–12–2020 समय 09:30 बजे प्रातः

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय हो कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ एवं श्री अनिल सिंह सिसौदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा की टीम उ0नि0ना0पु0 श्री प्रमोद कुमार व उ0नि0ना0पु0 श्री मानवेन्द्र

सिंह की अगुवाई में दिनांक 17—12—2020 को जनपद फिरोजाबाद से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधी की तलाश में रवाना हुयी थी। विकसित अभिसूचना तंत्र एवं सटीक जमीनी सूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि रूपया 20,000 पुरूस्कार घोषित अपराधी रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी ग्राम बिजौली, थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद, जो कि जनपद फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17.11.2020 को जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/20 व 183/20 धारा 60/60ए/63 आबकारी एक्ट व 272/304/420/468/471/120 बी भादवि में वांछित होने के कारण तभी से लगातार फरार चल रहा है तथा पुलिस के लिये चुनौती बना हुआ है। वह आज कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना को एस0टी0एफ0 टीम द्वारा जनपद फिरोजाबाद पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचते तभी थाना खैरगढ़ क्षेत्रान्र्तगत ग्राम प्रतापपुरा चौराहा से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह राम अवतार है, जिसपर तत्काल एस0टी0एफ0 व स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी उपरोक्त ने बताया कि वह जनपद फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17.11.2020 को जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना में पंजीकृत मुकदमो में वांछित होने के कारण वह लगातार भागता व छिपता फिर रहा था तथा गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त घटना में शामिल होना बताया है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0180/20 व 183/20 धारा 60/60ए/63 आबकारी एक्ट व 272/304/420/468/471/120 बी भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी ग्राम बिजौली थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u>

क्र0 सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	183/20	60/60ए/63 आबकारी एक्ट व 272/304/420/468/471/120बी भादवि	खैरगढ़	फिरोजाबाद
2	180/20	60/60ए/63 आबकारी एक्ट व 272/304/420/468/471/120बी भादवि	खैरगढ़	फिरोजाबाद

जनपद खीरी/थाना भीरा

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 अवैध तमंचे, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.12.2020 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रामनगर शारदा नदी घाट के पास से 15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1–वारिस 2–जाहिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भीरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भीरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वारिस उर्फ बंगाली निवासी गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी।

2–जाहिद उर्फ गुबरे निवासी गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी।

बरामदगी–:

02 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **300 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 17.12.2020 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी भनेडा क्षेत्रान्तर्गत पुल के पास रामनहर खटाई नहर की पटरी से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी शहजाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–100/2020 धारा 147/148/149/188/269/270/353/307/504/506 भादवि व 7 सी0एल0ए0एक्ट व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम, व मु0अ0सं0 330/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

शहजाद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी–:

300 ग्राम अवैध चरस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कलान

- **शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17–12–2020 को थाना कलान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अटैना बार्डर से अभियुक्त भंवरपाल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटरसाइकिले, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 700 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के थाना कलान में हत्या का प्रयास, सदोष मानव बध, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त आस–पास के क्षेत्रो से दो पहिया वाहन चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदल कर ग्राहक मिलने पर बेच देता है।

इस सम्बन्ध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

भंवरपाल निवासी ग्राम गुन्दौरा दाउदपुर थाना कलान जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1– चोरी की 08 मोटरसाइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

3–700 रूपये नगद।

प्रदेश के चिन्हित माफिया अपराधियों एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध कार्यवाही

प्रदेश स्तर पर चिन्हित **25 कुख्यात माफिया अपराधियों** एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी विधिक कार्यवाही की गयी है। माह नवम्बर तक चिन्हित माफियाओं एवं उनके गैंग के सहयोगियों द्वारा अपराधिक कृत्य व अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल–अचल सम्पत्ति को उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) व अन्य नियमों के अन्तर्गत अब तक **कुल 446 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्ति** के जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराये जाने की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त इनके परिजनों एवं सहयोगियों के नाम निर्गत 150 से अधिक शस्त्र लाइसेन्स निरस्त कराने की कार्यवाही की गयी है।

इसके अतिरिक्त अन्य कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 05 अपराधियों के **लगभग 38 करोड़ 88 लाख 86 हजार रूपये मूल्य की सम्पत्ति** की जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से सरकारी जमीनो के अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गयी है।

जनपद खीरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 36 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद खीरी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी 1–साजिद उर्फ बाबू 2–सत्तार 3–मंगलू बंजारा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 36 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद जौनपुर/थाना बरसठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 10—10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय जौनपुर द्वारा थाना बरसठी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में 02 अभियुक्तो 1—वीरेन्द्र कुमार 2—भोलानाथ को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

<u>जनपद बिजनौर/थाना कीरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 05—05 वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बिजनौर द्वारा थाना कीरतपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/ 366ए/ 368/ 323/354/376/120 बी भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 03 अभियुक्तो 1—शाकिर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2—साजिद व 3—मेहराज को 05—05 बर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

———————